कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

क्रमांकः–/स्टेनो/2026/423 दिनांकः– 30.06.2026

–:: कार्यालय आदेश ::–

(रिमाण्ड कार्य/धारा 196 बी.एन.एस.एस. ड्यूटी जुलाई, 2026)

मैं **स्वाति पारीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली,** जिला कोटपूतली–बहरोड़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) (धारा 15(2) द.प्र.सं.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूं कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम नं 02 में अंकित माह जुलाई, 2026 के राजकीय अवकाशों के दिन कोटपूतली–बहरोड़ की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, मृत्युकालिक कथन धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) कॉलम सं. 03 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम नं. 04 में अंकित है, करेंगेः–

क्रमांक	**दिनांक**	**न्यायालय का नाम**	**नाम अधिकारी/मोबाईल नं. श्री/श्रीमती/सुश्री**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	05.07.2026 (प्रथम रविवार)	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	सुश्री एंजल 9729149020
2.	11.07.2026(द्वितीय शनिवार) 12.07.2026(द्वितीय रविवार)	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड़ **(कोटपूतली मुख्यालय पर मजिस्ट्रेट उपस्थिति प्रतिशत कम होने पर)**	सुश्री शैली वर्मा 8529324799
3.	19.07.2026 (तृतीय रविवार)	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली	श्रीमती आकांक्षा बंशीवाल 8824225011
4.	25.07.2026 (चतुर्थ शनिवार) 26.07.2026 (चतुर्थ रविवार)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–02 कोटपूतली	श्रीमती सुमन मीणा 9413260033

नोट :–

(1) माह जुलाई, 2026 में उपरोक्तानुसार ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अत्यावश्यक कारणों से अवकाश पर रहने पर/स्थानांतरण होने से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर/आकस्मिक रूप से अवकाश घोषित होने पर/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कार्य स्थगित किये जाने पर आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य), मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) की रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी हेतु **श्रीमती सुमन मीणा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–02 कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़** को अधिकृत किया जाता है। रिजर्व ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 188 बीएनएसएस (धारा 178 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य भी निष्पादित किया जावेगा।

(2) उक्त अवधि में आने वाले अवकाशों के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक रहेगा। अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का स्थान व अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत् रहेंगी। कॉलम सं. 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

(3) राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय सहित उक्त ड्यूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परंतु कार्यदिवस के दिन कार्यालय

समय पश्चात् आवश्यक फौजदारी कार्य थाने से संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा व उसके उपलब्ध नहीं होने पर लिंक अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

(4) अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किये जायेंगे। मुलजिम को न्यायालय में निर्धारित समय में पेश नहीं कर निवास पर पेश करने पर संबंधित पुलिस कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली के लिखित आदेश/अनुमति व मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति पश्चात् ही मुलजिम को अधिकारी के निवास पर पेश किया जावेगा, निवास पर पेश करते समय मुलजिम को सीधे निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

(5) रिमाण्ड न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय के अधिकतम एक लिपिक ग्रेड–II एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जावे, यदि रिमाण्ड ड्यूटी के समय कार्य की अधिकता रहती है तथा उपरोक्त एक लिपिक ग्रेड–II व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सुचारू रूप से कार्य सम्पादन नहीं हो रहा हो तो पीठासीन अधिकारी रीडर अथवा आशुलिपिक में से किसी एक को अथवा दोनों को कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकेंगे।

(6) किसी कार्य दिवस में आधा दिवस अवकाश पर रहने वाले अधिकारी को ही उस दिन धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत प्राप्त जांच कार्य सुपुर्द किया जाना माना जायेगा। उक्त आधे दिवस अवकाश की अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य ही आगामी कम में अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। शेष जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य मूल रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(7) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोटपूतली–बहरोड़ की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन/रिमाण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला कोटपूतली–बहरोड़। (जरिए ई मेल)
3. जिला मजिस्ट्रेट, जिला कोटपूतली–बहरोड़। (जरिए ई मेल)
4. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़। (जरिए ई मेल)
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायाधिकारी, जिला कोटपूतली–बहरोड़। (जरिए ई मेल)
6. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस लेख के साथ कि संबधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
7. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़। (जरिए ई मेल)
8. सिस्टम ऑफिसर, ई–कोर्ट, जिला न्यायालय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ई मेल या मैसेज द्वारा सूचित करें तथा आदेश को जिला न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करें।

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़